International Journal of Sociology and Humanities

ISSN Print: 2664-8679
ISSN Online: 2664-8687
Impact Factor: RJIF 8.33
IJSH 2026; 8(1): 12-15
www.sociologyjournal.net
Received: 22-11-2025
Accepted: 26-12-2025

Dr. Sujit Kumar
University Department of Industrial Relations and Personnel Management
T M Bhagalpur University, Bhagalpur, Bihar, India

Doly Kumari
Research Scholar,
University Department of Industrial Relations and Personnel Management,
T M Bhagalpur University, Bhagalpur, Bihar, India

Corresponding Author:
Dr. Sujit Kumar
University Department of Industrial Relations and Personnel Management
T M Bhagalpur University, Bhagalpur, Bihar, India

पूंजी, श्रम और नैतिकता: बहुराष्ट्रीय निगमों में गांधीवादी न्यासिता सिद्धांत की प्रासंगिकता

Sujit Kumar and Doly Kumari

DOI: https://www.doi.org/10.33545/26648679.2026.v8.i1a.249

सारांश

वैश्वीकरण और नव-उदारवादी आर्थिक व्यवस्था के विस्तार ने बहुराष्ट्रीय निगमों (Multinational Corporations – MNCs) को विश्व-अर्थव्यवस्था का केंद्रीय अभिनेता बना दिया है। पूंजी, प्रौद्योगिकी और श्रम पर इनके व्यापक नियंत्रण ने आर्थिक विकास को गति दी है, किंतु साथ ही श्रम-शोषण, सामाजिक असमानता और नैतिक संकट को भी गहरा किया है। इस संदर्भ में महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित न्यासिता सिद्धांत—विशेषतः श्रम और पूंजी के नैतिक संबंधों पर आधारित दृष्टिकोण—एक वैकल्पिक वैचारिक ढाँचा प्रस्तुत करता है। यह शोध-पत्र बहुराष्ट्रीय निगमों में पूंजी, श्रम और नैतिकता के अंतर्संबंधों का विश्लेषण गांधीवादी न्यासिता सिद्धांत के आलोक में करता है तथा यह मूल्यांकन करता है कि क्या यह सिद्धांत समकालीन कॉर्पोरेट व्यवस्था में प्रासंगिक और व्यवहार्य हो सकता है। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि न्यासिता सिद्धांत CSR की सीमाओं को पार कर कॉर्पोरेट नैतिकता को सामाजिक न्याय, श्रम-गरिमा और सहभागिता के आधार पर पुनर्स्थापित करने की क्षमता रखता है।

कुटशब्द: गांधीवाद, न्यासिता सिद्धांत, बहुराष्ट्रीय निगम, पूंजी और श्रम, कॉर्पोरेट नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व

1. प्रस्तावना

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के प्रभाव से बहुराष्ट्रीय निगमों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। आज MNCs केवल आर्थिक संस्थाएँ नहीं रह गई हैं, बल्कि वे सामाजिक संरचनाओं, श्रम-संबंधों और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को भी गहराई से प्रभावित करती हैं। वैश्विक उत्पादन-श्रृंखलाओं (global supply chains) के माध्यम से ये निगम विकासशील देशों में सस्ते श्रम और कमजोर श्रम-कानूनों का लाभ उठाते हैं, जिससे पूंजी और श्रम के बीच असंतुलन लगातार बढ़ता जा रहा है[1]।

पूंजीवादी व्यवस्था में लाभ को सर्वोच्च लक्ष्य मानने की प्रवृत्ति ने नैतिकता को आर्थिक निर्णयों से लगभग अलग कर दिया है। श्रम को लागत (cost) और पूंजी को अधिकार (right) के रूप में देखा जाता है। परिणामस्वरूप, कार्यस्थल पर असमान वेतन, असुरक्षित परिस्थितियाँ, अनुबंध-आधारित रोजगार और श्रमिकों की निर्णय-प्रक्रिया से अनुपस्थिति एक सामान्य यथार्थ बन चुकी है। इस स्थिति में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) को नैतिक सुधार के उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया, किंतु CSR प्रायः परोपकारी गतिविधियों और छवि-निर्माण तक सीमित रह गई है।

महात्मा गांधी का न्यासिता सिद्धांत इस पूंजीवादी नैतिक संकट को मूलतः चुनौती देता है। गांधी के अनुसार, संपत्ति और पूंजी पर व्यक्तिगत स्वामित्व नैतिक नहीं हो सकता; उद्योगपति और पूंजीपति समाज के प्रति केवल न्यासी (trustee) होते हैं[2]। यह दृष्टिकोण पूंजी, श्रम और नैतिकता के बीच एक जैविक संबंध स्थापित करता है, जो समकालीन बहुराष्ट्रीय निगमों के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक बन जाता है।

2. साहित्य समीक्षा (Literature Review)

गांधीवादी न्यासिता पर उपलब्ध साहित्य इसे पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर एक नैतिक विकल्प के रूप में देखता है। गांधी ने न्यासिता को वर्ग-संघर्ष का अहिंसक समाधान माना, जिसमें पूंजी और श्रम के बीच सहयोग और नैतिक उत्तरदायित्व पर बल दिया गया[3]। उनके अनुसार, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण का अर्थ सामाजिक सेवा होना चाहिए, न कि निजी संचय।

[1] Harvey, D. A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press.
[2] Gandhi, M. K. Trusteeship. Navajivan Publishing House.
[3] Ibid.

दूसरी ओर, बहुराष्ट्रीय निगमों और CSR पर उपलब्ध साहित्य दर्शाता है कि CSR का विकास मुख्यतः कॉर्पोरेट वैधता (corporate legitimacy) और जोखिम-प्रबंधन के उपकरण के रूप में हुआ है[4]। आलोचनात्मक विद्वानों का तर्क है कि CSR संरचनात्मक शोषण को चुनौती देने के बजाय उसे नैतिक आवरण प्रदान करती है। विशेष रूप से श्रम-संबंधों के संदर्भ में CSR की भूमिका सीमित रही है।

श्रम, पूंजी और नैतिकता के त्रिकोणीय संबंध पर अपेक्षाकृत कम शोध उपलब्ध है। अधिकांश अध्ययन या तो आर्थिक दक्षता पर केंद्रित हैं या नैतिक दर्शन तक सीमित रहते हैं। यह शोध-पत्र गांधीवादी न्यासिता को एक समन्वयकारी ढाँचे के रूप में प्रस्तुत करता है, जो पूंजीवादी उत्पादन-प्रणाली के भीतर नैतिक पुनर्संरचना की संभावना को उद्घाटित करता है।

3. शोध के उद्देश्य

गांधीवादी न्यासिता सिद्धांत की अवधारणात्मक व्याख्या करना।

1. बहुराष्ट्रीय निगमों में पूंजी और श्रम के संबंधों का विश्लेषण करना।
2. समकालीन कॉर्पोरेट व्यवस्था में नैतिकता की स्थिति का मूल्यांकन करना।
3. न्यासिता सिद्धांत की प्रासंगिकता और व्यवहार्यता का परीक्षण करना।

4. शोध परिकल्पनाएँ

H_1: बहुराष्ट्रीय निगमों में पूंजी-केन्द्रित निर्णय-प्रक्रिया श्रम-न्याय को कमजोर करती है।

H_2: CSR वर्तमान स्वरूप में नैतिक असंतुलन को दूर करने में अपर्याप्त है।

H_3: गांधीवादी न्यासिता सिद्धांत पूंजी और श्रम के बीच नैतिक संतुलन स्थापित कर सकता है।

5. शोध-पद्धति

यह अध्ययन वर्णनात्मक–विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है।

- **डेटा स्रोत:** द्वितीयक स्रोत—गांधी साहित्य, CSR रिपोर्ट्स, ILO एवं UN दस्तावेज़, समकालीन शोध-पत्र।
- **विश्लेषण:** दार्शनिक एवं तुलनात्मक विश्लेषण।
- **सीमा:** अध्ययन वैचारिक है; अनुभवजन्य केस-स्टडी को भविष्य के शोध हेतु छोड़ा गया है।

6. गांधीवादी न्यासिता सिद्धांत: अवधारणात्मक विवेचन

गांधीवादी न्यासिता सिद्धांत का मूल आधार यह नैतिक विश्वास है कि संपत्ति, पूंजी और उत्पादन के साधन किसी व्यक्ति या संस्था की निजी उपलब्धि मात्र नहीं होते, बल्कि वे समाज की सामूहिक धरोहर होते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा, श्रम या संसाधनों के बल पर जो संपत्ति अर्जित करता है, वह समाज की संरचना, सहयोग और अवसरों के बिना संभव नहीं है। इसलिए उस संपत्ति पर निरंकुश स्वामित्व का दावा नैतिक रूप से अस्वीकार्य है[5]। इस दृष्टिकोण में उद्योगपति और पूंजीपति समाज के प्रति उत्तरदायी न्यासी (trustee) होते हैं, जिनका कर्तव्य है कि वे संसाधनों का उपयोग निजी संचय के बजाय सार्वजनिक हित और सामाजिक कल्याण के लिए करें।

न्यासिता सिद्धांत का एक महत्त्वपूर्ण आयाम पूंजी और नैतिकता के संबंध को पुनर्परिभाषित करना है। आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी को अधिकार और शक्ति के स्रोत के रूप में देखा जाता है, जिससे आर्थिक निर्णय लाभ-केन्द्रित और अमानवीय हो जाते हैं। गांधी इस प्रवृत्ति का प्रतिवाद करते हुए यह स्थापित करते हैं कि पूंजी का वास्तविक मूल्य उसकी सामाजिक उपयोगिता में निहित है, न कि उसके संचय में[6]। इस प्रकार न्यासिता पूंजी को सामाजिक दायित्व से जोड़कर आर्थिक गतिविधियों को नैतिक अनुशासन प्रदान करती है।

इसी संदर्भ में न्यासिता सिद्धांत श्रम को उत्पादन-प्रणाली का नैतिक केंद्र मानता है। गांधी के अनुसार श्रमिक केवल मजदूरी प्राप्त करने वाला निष्क्रिय घटक नहीं, बल्कि उद्योग का सह-निर्माता है, जिसकी भागीदारी के बिना कोई भी उत्पादन संभव नहीं है। वे श्रम को केवल आर्थिक इनपुट मानने की धारणा—जिसे श्रम-वस्तुकरण (commodification of labour) कहा जाता है—का स्पष्ट रूप से प्रतिवाद करते हैं[7]। गांधी के लिए श्रम मानवीय गरिमा, आत्मसम्मान और नैतिक अधिकारों से जुड़ा हुआ तत्व है, जिसे बाजार की शक्तियों के हवाले नहीं किया जा सकता।

अतः गांधीवादी न्यासिता सिद्धांत एक ऐसी वैचारिक संरचना प्रस्तुत करता है, जिसमें पूंजी, श्रम और नैतिकता परस्पर संबद्ध होते हैं। यह सिद्धांत आर्थिक व्यवस्था को केवल उत्पादन और लाभ के प्रश्न तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे सामाजिक न्याय, मानवीय गरिमा और सहभागिता के व्यापक नैतिक उद्देश्यों से जोड़ता है। समकालीन बहुराष्ट्रीय निगमों के संदर्भ में यह दृष्टिकोण विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि यह वैश्विक पूँजीवाद के भीतर एक मानवीय और न्यायोन्मुख विकल्प प्रदान करता है।

7. बहुराष्ट्रीय निगमों में पूंजी और श्रम का संबंध

बहुराष्ट्रीय निगमों की संरचना पूंजी के केंद्रीकरण और श्रम के विखंडन पर आधारित होती है। निर्णय-प्रक्रिया वैश्विक मुख्यालयों में केंद्रित रहती है, जबकि श्रमिक स्थानीय स्तर पर असुरक्षित परिस्थितियों में कार्य करते हैं[8]। इस व्यवस्था में श्रम की आवाज़ कमजोर और पूंजी की शक्ति प्रबल होती है।

वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखलाओं में कार्यरत श्रमिकों को अक्सर न्यूनतम वेतन, सीमित सामाजिक सुरक्षा और अस्थिर रोजगार का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति पूंजी और श्रम के बीच गहरे नैतिक असंतुलन को दर्शाती है।

8. कॉर्पोरेट नैतिकता और CSR की सीमाएँ

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) को सामान्यतः कॉर्पोरेट नैतिकता का व्यवहारिक रूप माना जाता है, जिसके माध्यम से उद्योग और निगम समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। प्रारंभिक रूप में CSR का उद्देश्य औद्योगीकरण और पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली से उत्पन्न सामाजिक और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को संतुलित करना था। किंतु व्यवहार में CSR का स्वरूप प्रायः कानूनी अनुपालन, जोखिम-प्रबंधन और ब्रांड-छवि सुदृढ़ीकरण तक सीमित रह गया है[9]। बहुराष्ट्रीय निगम CSR को एक रणनीतिक उपकरण के रूप में अपनाते हैं, जिससे उनकी सामाजिक वैधता बनी रहे, न कि इसलिए कि वे उत्पादन-प्रणाली में निहित नैतिक असमानताओं को दूर करना चाहते हैं।

CSR की एक प्रमुख सीमा यह है कि इसकी अधिकांश गतिविधियाँ कार्यस्थल के बाहर केंद्रित होती हैं—जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण—जबकि कार्यस्थल के भीतर श्रम-संबंधों की जटिल समस्याएँ अपेक्षाकृत उपेक्षित रहती हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों की आपूर्ति-श्रृंखलाओं में न्यूनतम वेतन, असुरक्षित कार्य-परिस्थितियाँ, अस्थायी अनुबंध और श्रमिक प्रतिनिधित्व की कमी आज भी व्यापक वास्तविकता हैं[10]। इस प्रकार CSR बाह्य सामाजिक कल्याण और आंतरिक श्रम-शोषण के बीच एक विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न करती है, जिसे अक्सर "कॉर्पोरेट नैतिक द्वैत" के रूप में देखा जाता है।

इसके अतिरिक्त, CSR की स्वैच्छिक प्रकृति भी इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती है। चूँकि CSR प्रायः कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती, इसलिए निगम

[4] Banerjee, S. B. (2007). Corporate Social Responsibility: The Good, the Bad and the Ugly.
[5] Gandhi, M. K. (1947). Trusteeship. Navajivan Publishing House
[6] Gandhi, M. K. (1999). The Collected Works of Mahatma Gandhi (Vol. 72). Publications Division, Government of India
[7] Gandhi, M. K. (1938). Hind Swaraj. Navajivan Publishing House
[8] ILO. Multinational Enterprises and Social Policy.
[9] Banerjee, S. B. (2007). Corporate Social Responsibility: The Good, the Bad and the Ugly. Edward Elgar Publishing
[10] International Labour Organization. (2019). Multinational enterprises and decent work in global supply chains.

अपनी सुविधा और व्यावसायिक हितों के अनुसार इसके दायरे और दिशा को निर्धारित करते हैं। इससे CSR संरचनात्मक परिवर्तन का साधन बनने के बजाय परोपकार और दान तक सीमित रह जाती है[11]। सामाजिक समस्याओं को व्यक्तिगत परियोजनाओं में विभाजित कर देने से उनकी जड़ में निहित शक्ति-संरचनाएँ और असमानताएँ अपरिवर्तित बनी रहती हैं।

अतः कहा जा सकता है कि CSR नैतिकता को गहन संरचनात्मक परिवर्तन की दिशा में ले जाने के बजाय उसे सतही सुधार और छवि-निर्माण तक सीमित कर देती है। यही इसकी मूल सीमा है। जब तक CSR कार्यस्थल के भीतर श्रम-अधिकारों, सहभागिता और न्यायपूर्ण औद्योगिक संरचना को अपने केंद्र में नहीं लाती, तब तक यह कॉर्पोरेट नैतिकता का अपूर्ण और असंतोषजनक रूप ही बनी रहेगी।

9. गांधीवादी न्यासिता और बहुराष्ट्रीय निगम: समन्वय की संभावना

यदि बहुराष्ट्रीय निगम गांधीवादी न्यासिता सिद्धांत को अपने संगठनात्मक दर्शन का अंग बनाएँ, तो पूंजी और श्रम के बीच स्थापित वर्तमान असंतुलन में मूलभूत परिवर्तन संभव है। गांधी के अनुसार पूंजी पर पूर्ण स्वामित्व नैतिक रूप से अस्वीकार्य है; पूंजीपति और उद्योगपति समाज के प्रति केवल न्यासी होते हैं, जिनका दायित्व है कि वे आर्थिक संसाधनों का उपयोग सामूहिक कल्याण के लिए करें[12]। इस दृष्टिकोण को अपनाने पर बहुराष्ट्रीय निगमों में पूंजी केवल लाभ-सृजन का उपकरण न रहकर सामाजिक उत्तरदायित्व का माध्यम बन जाती है, जिससे आर्थिक निर्णयों में नैतिकता का समावेश सुनिश्चित होता है।

न्यासिता सिद्धांत का दूसरा महत्त्वपूर्ण आयाम श्रम की भूमिका से जुड़ा है। गांधी श्रमिक को उद्योग का निष्क्रिय साधन नहीं, बल्कि उसका नैतिक सह-निर्माता मानते हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों में यदि इस दृष्टिकोण को लागू किया जाए, तो श्रमिक केवल वेतनभोगी कर्मचारी न रहकर निर्णय-प्रक्रिया के सहभागी बन सकते हैं। सहभागितामूलक प्रबंधन (participatory management) और औद्योगिक लोकतंत्र की यह अवधारणा श्रम-गरिमा को पुनर्स्थापित करती है तथा कार्यस्थल पर विश्वास और स्थिरता को बढ़ावा देती है[13]।

इस प्रकार गांधीवादी न्यासिता CSR की प्रकृति को भी गुणात्मक रूप से रूपांतरित करती है। वर्तमान CSR मॉडल प्रायः दान, परोपकार और बाह्य सामाजिक परियोजनाओं तक सीमित है, जो कार्यस्थल के भीतर व्याप्त असमानताओं को चुनौती नहीं देता। इसके विपरीत, न्यासिता से प्रेरित CSR न्याय-आधारित नैतिक व्यवस्था का रूप लेती है, जिसमें समान वेतन, सुरक्षित कार्य-परिस्थितियाँ, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक अधिकारों की रक्षा को केंद्रीय स्थान प्राप्त होता है[14]। इस मॉडल में CSR कॉर्पोरेट रणनीति नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व बन जाती है।

अंततः, गांधीवादी न्यासिता और बहुराष्ट्रीय निगमों का समन्वय उद्योग की भूमिका की पुनर्परिभाषा करता है। उद्योग तब केवल अधिकतम लाभ अर्जित करने की संस्था नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक न्याय, मानवीय गरिमा और समावेशी विकास का माध्यम बन जाता है। यद्यपि वैश्विक पूँजीवादी ढाँचे में इस सिद्धांत का पूर्ण अनुप्रयोग चुनौतीपूर्ण है, तथापि यह बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए एक दीर्घकालीन नैतिक दिशा और वैकल्पिक विकास-पथ प्रदान करता है, जो आर्थिक दक्षता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है।

10. निष्कर्ष

यह शोध-पत्र इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि समकालीन बहुराष्ट्रीय निगमों की कार्यप्रणाली में पूंजी, श्रम और नैतिकता के बीच गहरा और संरचनात्मक असंतुलन विद्यमान है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, शेयरधारक-मूल्य (shareholder value) की प्रधानता और लागत-न्यूनकरण की रणनीतियों ने श्रम को निर्णय-प्रक्रिया से हाशिये पर धकेल दिया है। परिणामस्वरूप, कार्यस्थल पर असमान वेतन, रोजगार-असुरक्षा और श्रमिक अधिकारों का क्षरण व्यापक रूप से देखा जा सकता है। यह स्थिति दर्शाती है कि आर्थिक दक्षता को नैतिक उत्तरदायित्व से पृथक कर देने का मॉडल दीर्घकाल में सामाजिक अस्थिरता को जन्म देता है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) ने इस असंतुलन को संबोधित करने का प्रयास अवश्य किया है, किंतु इसकी सीमाएँ स्पष्ट हैं। CSR प्रायः बाह्य सामाजिक परियोजनाओं, परोपकारी गतिविधियों और वैधानिक अनुपालन तक सीमित रह जाती है, जबकि उत्पादन-प्रणाली के भीतर निहित शक्ति-संरचनाओं और श्रम-संबंधों में अपेक्षित परिवर्तन नहीं कर पाती। इस कारण CSR एक आंशिक और सुधारवादी उपाय बनकर रह जाती है, जो नैतिक संकट के लक्षणों को तो छूती है, पर उसके मूल कारणों को चुनौती नहीं देती।

इस संदर्भ में गांधीवादी न्यासिता सिद्धांत एक सशक्त और वैकल्पिक नैतिक ढाँचा प्रस्तुत करता है। न्यासिता पूंजी को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाती है और यह स्थापित करती है कि संपत्ति तथा उत्पादन के साधन निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक कल्याण के लिए हैं। साथ ही, यह श्रम को केवल आर्थिक इनपुट के रूप में देखने के बजाय मानवीय गरिमा, सहभागिता और न्याय के साथ जोड़ती है। इस प्रकार न्यासिता कॉर्पोरेट व्यवस्था को नैतिक पुनर्संरचना की दिशा में उन्मुख करती है, जहाँ आर्थिक निर्णय सामाजिक उत्तरदायित्व से अभिन्न रूप से जुड़े होते हैं।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए गांधीवादी न्यासिता सिद्धांत केवल वैचारिक रूप से प्रासंगिक ही नहीं, बल्कि दीर्घकालीन नैतिक स्थिरता और सामाजिक वैधता के लिए अनिवार्य है। यद्यपि वैश्विक पूँजीवादी ढाँचे में इसके पूर्ण अनुप्रयोग की व्यावहारिक चुनौतियाँ हैं, तथापि यह सिद्धांत कॉर्पोरेट नैतिकता को पुनर्परिभाषित करने, श्रम-गरिमा को सुदृढ़ करने और सामाजिक न्यायोन्मुख विकास की दिशा प्रदान करने की क्षमता रखता है।

संदर्भ सूची

1. Banerjee SB. Corporate social responsibility: The good, the bad and the ugly. Edward Elgar Publishing; 2007.
2. Bhargava R, editor. Politics and ethics of the Indian constitution. Oxford University Press; 2009.
3. Carroll AB. The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Bus Horiz. 1991;34(4):39-48.
4. Chakrabarty B. Gandhian trusteeship and corporate governance: An ethical perspective. Indian J Ind Relat. 2015;50(3):421-35.
5. Drucker PF. The new meaning of corporate social responsibility. Calif Manag Rev. 1984;26(2):53-63.
6. Freeman RE. Strategic management: A stakeholder approach. Pitman; 1984.
7. Gandhi MK. Hind Swaraj. 2nd ed. Navajivan Publishing House; 1938.
8. Gandhi MK. Trusteeship. Navajivan Publishing House; 1947.
9. Gandhi MK. The collected works of Mahatma Gandhi. Vols. 1-100. Publications Division, Government of India; 1999.
10. Harvey D. A brief history of neoliberalism. Oxford University Press; 2005.
11. International Labour Organization. Tripartite declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy. ILO; 2017.
12. International Labour Organization. Multinational enterprises and decent work in global supply chains. ILO; 2019.

[11] Utting, P. (2005). Corporate responsibility and the movement of business. Development in Practice, 15(3–4), 375–388

[12] Gandhi, M. K. Trusteeship. Navajivan Publishing House

[13] Gandhi, M. K. Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol. 72

[14] Banerjee, S. B. (2007). Corporate Social Responsibility: The Good, the Bad and the Ugly.

13. Korten DC. When corporations rule the world. Kumarian Press; 1995.
14. Marens R. Generous in victory? American managerial autonomy, labour relations, and the invention of corporate social responsibility. Socio-Econ Rev. 2013;11(1):59-84.
15. Polanyi K. The great transformation: The political and economic origins of our time. Beacon Press; 2001. (Original work published 1944)
16. Ruggie JG. Just business: Multinational corporations and human rights. W.W. Norton & Company; 2013.
17. Sethi SP. Dimensions of corporate social performance: An analytical framework. Calif Manag Rev. 1975;17(3):58-64.
18. Sharma S, Talwar B. Evolution of universal business excellence models incorporating sustainability and corporate social responsibility. J Manag Dev. 2005;24(6):492-505.
19. Singh A. Globalization, labour standards, and the role of multinational corporations. World Dev. 2010;38(3):327-40.
20. Utting P. Corporate responsibility and the movement of business. Dev Pract. 2005;15(3-4):375-88.
21. United Nations Global Compact. Corporate sustainability in the global economy. United Nations; 2020.